

16.7.19

बार-बार आवाज दिलावये जाने के उपरान्त भी न अधिकवक्ता अपीलान्ट और न अभी उपास्थित आये। पन्नावली का अवलोकन किया पन्नावली काण्डु की कार्यवाही में दि० 11-12-17 से जबरकार है। आज भी कोई उपास्थित नहीं है। अतः पन्नावली अदम पैरवी, अदम हाजरी व अवेट में श्वारिज की जाती है। पन्नावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे बाद जाफ़ा दाखील दफ़तर हो।

(10)
पन्नावली अधिकारी,
पदेन
राजस्थान नवीन अधिकारी
जयपुर कैम्प-बीकानेर